हनुमानगढ़ में बाढ़ का खतरा बना, प्रशासन ने कई गांवों को खाली कराया

हरियाणा के ओटू हैड से छोड़े जा रहे 25 हजार क्यूसेक पानी से हनुमानगढ़ जिले में बाढ़ का खतरा बना हुआ है

हनुमानगढ़, (निसं)। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद घग्घर नदी उफान पर है। हरियाणा के ओटू हैड से छोड़े जा रहे 25 हजार क्यूसेक पानी से हनुमानगढ़ जिले में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।

घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र के आसपास के गांव और शहरों में बाढ़ नियंत्रण टीमें निगरानी में जुटी है। हालांकि बारिश नहीं होने और हरियाणा राज्य में जगह-जगह घग्घर नदी टूटने के कारण ओटू हैड पर पानी की आवक कुछ कम हुई है। डायवर्जन के जरिए भी घग्घर नदी में प्रवाहित हो रहा कुछ पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में छोड़ा जाएगा। घग्घर में पानी की अधिक आवक को देखते हुए जिला कलेक्टर रुक्मणि रियार सिहाग के नेतृत्व में जिले का प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा की दृष्टि से शनिवार को हनुमानगढ़, टिब्बी व पीलीबंगा में स्कूलों की छुट्टी रही। ओबीसी वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने इंदिरा गांधी नहर की 629 आरडी में घग्घर साइफन पर जाकर मौके पर चल रहे काम का निरीक्षण किया।

ओटू हैड से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा लगातार बढ़ाए जाने से जिला प्रशासन और सतर्क हो गया। शुक्रवार शाम को 25 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने की सूचना मिलने के बाद से ही प्रशासन की ओर से घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र के गांव पन्नीवाली, पीरकामडिया, शेरेकां, कमरानी, अमरपुरा थेहड़ी, मक्कासर, करणीसर, सहजीपुरा, बहलोलनगर, सात व तीन एसएनएम, 23, 26 व 29 एसटीजी व आसपास के चकों को खाली करने को लेकर आदेश जारी कर दिए गए थे। इसके बाद देर रात तक खुद कलेक्टर रुक्मणि रियार सिहाग और एसपी सुधीर चौधरी ने घग्घर बहाव क्षेत्र के कई गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से बाढ़ की आशंका

- **जिला कलेक्टर व एस.पी. ने किया बहाव क्षेत्र का निरीक्षण, ग्रामीणों से राहत शिविरों में शिफ्ट होने के लिए समझाइश की**

के मद्देनजर अपने रिश्तेदारों अथवा प्रशासन की ओर से बनाए गए राहत शिविरों में शिफ्ट होने के लिए समझाइश की। इसके बाद घग्घर के निचले इलाकों के ग्रामीण सुरक्षित जगह पर चले गए।

शनिवार को भी कलेक्टर और एसपी के नेतृत्व में पूरा प्रशासन बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए घग्घर बहाव क्षेत्र में सक्रिय रहा। कलेक्टर रुक्मणि रियार सिहाग और एसपी सुधीर चौधरी ने टिब्बी के शेरेकां क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों व ग्रामीणों को उचित दिशा-निर्देश दिए। हालांकि इस समय गुलुाचिक्का हैड पर पानी की मात्रा घटने से हनुमानगढ़ में बाढ़ का खतरा कम हो गया है। नदी में बह रही केली पानी के बहाव को कम कर रही है, जिससे परेशानी बढ़ रही है। हालांकि एक्सक्वेटर मशीन के जरिए इसे हटाने का काम किया जा रहा है। राजस्थान क्षेत्र में इस बार करीब 30 हजार क्यूसेक पानी की आवक की संभावना है, जबकि राजस्थान सरकार के पास करीब 20 से 25 हजार हजार क्यूसेक पानी का प्रबंधन करने की व्यवस्था है। इस स्थिति में बाढ़ के खतरे महसूस किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने सेना के तीन दलों को बुला लिया है।

ओबीसी वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने इंदिरा गांधी नहर की 629 आरडी में घग्घर साइफन पर जाकर मौके पर चल रहे काम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां मौजूद अधिकारियों से स्थिति को जाना और राज्य सरकार की तरफ से किसी प्रकार की डिमांड के लिए बिना संकोच बताने की बात कही। मीडिया से रूबरू होते हुए पवन गोदारा ने बताया कि राज्य सरकार का साफ उद्देश्य है कि आमजन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो। उसको लेकर भरकस प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन लगातार काम करते हुए संभावित बाढ़ को लेकर हर कदम उठा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास है कि अगर पानी ज्यादा बढ़ा तो इसे घग्घर साइफन के जरिए इंदिरा गांधी नहर में डाला जाएगा, जिससे आगे बाढ़ का खतरा कम हो जाए। इसके अलावा उन्होंने संवेदनशील इलाकों का दौरा करते हुए यहां रहने वाले लोगों से मुलाकात की और उनको हर संभव मदद की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार आपके साथ खड़ी है।

फ्यूल सरचार्ज बढ़ने से उद्योगों पर तलवार लटकी

जोधपुर में कई इकाइयों में तो प्रोडक्शन 30 से 40 प्रतिशत तक गिर चुका है

जोधपुर, (कासं)। बढ़ी हुई बिजली फ्यूल सरचार्ज की दरों के खिलाफ उद्यिमयों द्वारा 20 जुलाई को सभी जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। बिजली के बिलों में पिछले तीन महीने से जोड़कर आ रहा बढ़ा हुआ फ्यूल सरचार्ज व्यापारियों और उद्यिमयों की परेशानी का कारण बन चुका है। कई इकाइयों में तो प्रोडक्शन 30 से 40 प्रतिशत तक गिर चुका है। हालात यह है कि कुछ लोगों पर तो बेरोजगारी का संकट तक आ गया है। अब इन्ही बढ़ी हुई दरों के खिलाफ उद्यमी सड़क पर उतरने का मन बना चुके हैं।

45 पैसे प्रति यूनिट तक वसूली :- तीन महीने पहले तक जो फ्यूल सरचार्ज उद्योग और व्यापार जगत से वसूल किया जा रहा था उसकी दर 7 से 10 पैसे प्रति यूनिट तक आ रही थी। लेकिन अब मार्च से लेकर जून तक जो फ्यूल सरचार्ज जुड़ा है उसकी दर 40 से 45 पैसे प्रति यूनिट तक आ रही है। जिससे कि व्यापारियों और उद्योग जगत पर भारी संकट आ गया है। एक उद्यमी ने बताया कि उसकी स्टील उद्योग की फैक्ट्री है। जिसका 10

- **फ्यूल सरचार्ज के विरोध में 20 जुलाई को सड़क पर उतरेंगे उद्यमी**
- **बेरोजगारी का संकट बढ़ा**

महीने पहले फ्यूल सरचार्ज हर महीने करीब 26 से 30 हजार के बीच आता था। मार्च से यह फ्यूल सरचार्ज की राशि बढ़नी शुरू हुई अब जून महीने में यह राशि 1 लाख 65 हजार तक आई है यानि 5 गुना तक भर बढ़ा है। एसआरएम एलॉयज नाम की एक और फैक्ट्री है। पिछले साल मई और जून माह में 37 से 40 हजार के बीच फ्यूल सरचार्ज भर रहे थे। इस महीने में 2 लाख 70 का फ्यूल सरचार्ज जुड़ा है। यानि करीब 6 गुना।

बेरोजगारी की तलवार लटकी :- स्टील, टैक्स्टाइल, ग्वार गम और प्लास्टिक जैसी इकाइयों में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। कई ऐसे लेबर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और उनको हर दिन और घंटे के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। कई फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन कार्यकाल कम करने के कारण अब इन पर बेरोजगारी का खतरा भी मंडरा रहा है।

प्रांत अध्यक्ष महावीर चोपड़ा ने बताया कि राजस्थान के सभी 33 जिलों और जोधपुर प्रांत के सभी जिलों में 20 जुलाई को उद्यमी इन बढ़ी हुई फ्यूल सरचार्ज दरों के खिलाफ धरना देंगे। सरकार को चेताया जाएगा कि यदि इन दरों में कमी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा।

लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महामंत्री घनश्याम ओझा ने बताया कि बढ़े हुए फ्यूल सरचार्ज के कारण बिजली के बिल कई गुना तक बढ़ गए हैं। इसी कारण कई छोटी इकाइयां बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हालात यह है कि 30 से 40 प्रतिशत प्रोडक्शन कम हुआ है। टैक्स्टाइल उद्यमी वरुण बताते हैं कि कई घंटे तक कामकाज बंद रखना पड़ रहा है। कई उद्यिमयों की यह समस्या आ रही है।

स्मैक के आदी पुत्र ने पिता को मौत के घाट उतारा

मालपुरा, (निसं)। टोडारायसिंह कस्बा निवासी एक स्मैक के आदी युवक ने पशु चराने जा रहे पिता पर लाठी का वार कर मौत के घाट उतार दिया।

मिली जानकारी में सामने आया कि, टोडारायसिंह कस्बा जैन मौहल्ला निवासी मन्ना देवी पत्नी सरदार गुर्जर ने रिपोर्ट में बताया कि रोजमर्रा की तरह उनके पति सरदार गुर्जर पशुओं को चराने के लिए जंगल की ओर निकले थे। बीच रास्ते में उसके पुत्र खुशीराम गुर्जर व पिता के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी व झगड़ा हो गया। गुस्साए बेटे खुशीराम ने लाठी से वार कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे डीवाईएसपी सुशील मान, टोडारायसिंह थानाधिकारी ने शव को पुलिस सुरक्षा में ले अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पत्नी ने बताया कि उसका बेटा खुशीराम जो कि स्मैक का आदी था। आये दिन माता-पिता के साथ झगड़ा व मारपीट करता था। शनिवार को किसी बात को लेकर हुई कहासुनी में बेटे ने पिता की निर्मम हत्या कर दी। कलयुगी बेटे द्वारा किये गये इस जघन्य अपराध को लेकर शहर में कौतूहल मच गया। वारदात के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी की ओर से मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश करते हुए देर शाम तक आरोपी बेटे को डिटेन कर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।

पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की।

विधायक देवनानी ने सड़क शिलान्यास कार्यक्रम का बहिष्कार कर धरना दिया

देवनानी के साथ धरने में सड़क हादसे में घायल हुए लोग भी शामिल हुए

अजमेर, (कासं)। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने शनिवार को सभी निकाय क्षेत्रों में 1528 करोड़ के सड़क निर्माण कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए सरकार पर झूठे आश्वासन और दिखावटी बजट के सहारे जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। देवनानी ने रीट दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल ना होकर पंचोली चौराहे पर टूटी सड़कों के खिलाफ स्थानीय पार्षद के साथ धरना दिया।

देवनानी ने आरोप लगाया कि सरकार पिछले दो वित्तीय वर्ष में स्वीकृत सड़क को तो बना नहीं सकी और अब इस वित्तीय वर्ष में सड़कों के शिलान्यास कर चुनावी फायदा लेना चाह रही है। देवनानी ने कहा कि इससे बेहतर होता मुख्यमंत्री पहले के बजट में स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्य का धरातल पर फीडबैक लेते। देवनानी ने आरोप लगाया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंचोली चौराहे से बाडी नदी पुलिया तक के सड़क निर्माण के लिए 24 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ जिसके कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। बारिश के मौसम में यह गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। इन गड्ढों के

अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने स्थानीय पार्षद के साथ धरना दिया।

चलते सड़क हादसे में लोगों के हाथ और पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। लेकिन नकारा अफसरों के झूठे आश्वासन के आगे जनता बेबस साबित हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2021-22 सड़क झूलेलाल मंदिर से चौरसियावास तालाब तक बनने वाली 1.5 किमी सड़क जिसको अभी तक शुरू नहीं किया। वार्ड 65 पुलिस लाइन से चौराहे से शास्त्री नगर चुंगी चौकी तक पेवर सड़क निर्माण अभी तक अधूरा पड़ा है। फायसागर पुलिस चौकी से फायसागर तक पेवर सड़क जिसके लिए 3 करोड़ 80 लाख की राशि स्वीकृत हुई थी इस सड़क का भी 300 मीटर का टुकड़ा जो टेलीफोन एक्सचेंज चौराहे के पास आज तक अधूरा पड़ा है। सार्वजनिक विभाग के पास जो भी शहर की प्रमुख सड़के है वो सभी खुदी पड़ी और बड़े-बड़े गड्ढे हो रखे है।

देवनानी ने मुख्यमंत्री गहलोत पर जनप्रतिनिधियों के हकों को भी मारने का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़कों के शिलान्यास अमूमन स्थानीय जनप्रतिनिधि करते है क्योंकि उनकी अनुशंसा पर ही स्वीकृति मिलती है। लेकिन मुख्यमंत्री चुनावी साल में सामान्य परंपराओं को भी दरकिनार कर खुद ही श्रेय लेने की होड़ में ऐसे कार्यक्रम कर रहे है। देवनानी ने आरोप लगाया कि सरकार जनता के दुखो पर मरहम लगाने की बजाय इस तरह के बरगलाने वाले कार्यक्रमों के जरिए उल्टा नमक मिर्च लगा रही है। देवनानी के साथ धरने में सड़क हादसे में घायल हुए लोग भी शामिल हुए और स्थानीय पार्षद ज्ञान सारस्वत ने सड़क पर जहां-जहां गड्ढे हैं वहां गमला रखकर विरोध प्रदर्शन किया और जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। देवनानी के साथ पार्षद ज्ञान चंद सारस्वत, दिनेश खटाना, तारा रावत आदि भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी सहभागी बने।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने फांसी लगाई

भीलवाड़ा, (निसं)। विशिष्ट लोक अभियोजक (अनुसुचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण) ऑफिस के सहायक प्रशासनिक अधिकारी कुलदीप सिंह चुंडावत ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।

चुंडावत ने यह कदम किन कारणों के चलते उठाया, इसकी जांच पुलिस कर रही है। प्रताप नगर थाना पुलिस ने बताया कि मूलतया दौलतगढ़ हाल मेड़तवाल भवन के पास जवाहरनगर निवासी कुलदीप सिंह पुत्र स्व. उदयसिंह चुंडावत (पुलिस अधिकारी) ने बीती रात अपने ही मकान के कमरे में गले में फंदा डाला और पंखे से झूल गया। कुलदीप सिंह, अपनी मां के साथ यहां रह रहा था।

शनिवार सुबह मां को घटना का पता चला तो चीत्कार फूट पड़ी। आस-पास के लोग वहां पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस ज़ाब्ता मौके पर पहुंचा और शव को फंदे से उतरवाकर कब्जे में लिया। पुलिस का कहना है कि अभी खुदकुशी के कारण सामने नहीं आये है। उधर, कुलदीप सिंह के नजदीकी लोगों के अनुसार, करीब दस साल पहले कुलदीप सिंह को पिता के निधन के बाद अनुकंपात्मक नौकरी मिली थी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतरे

फुलेरा, (निसं)। जयपुर रेल मण्डल के जयपुर से अजमेर जाने वाले रेलवे रूट पर शनिवार को मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतरने का मामला सामने आया है। पटरी से डिब्बे उतरने के बाद रेलवे विभाग हरकत में आ गया। आसलपुर जोबनेर और हिरनोदा स्टेशन के बीच यह घटना है। जयपुर से फुलेरा की तरफ शनिवार सुबह मालगाड़ी जा रही थी, तभी आसलपुर जोबनेर और हिरनोदा स्टेशन के बीच गुढ़ा फाटक के पास मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। ये मालगाड़ी खाली थी इस पर कोई भी कंटेनर या डिब्बा मौजूद नहीं था। जोबनेर में आसलपुर स्टेशन पर हुई इस घटना के बाद इस रूट से गुजरने वाली 7 ट्रेनों को रद्द किया गया।

राज. वन सेवा के अधिकारी को कार्य मुक्त नहीं करने का आदेश

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ के न्यायाधीश अरूण भंसाली ने राजस्थान वन सेवा के अधिकारी का कार्यमुक्त नही करने का अंतरिम आदेश पारित किया।

ज्ञानचंद जो राजस्थान वन सेवा के अधिकारी है वर्तमान में वर्ष 2019 से वो उप वन सरंक्षक नागौर के पद पर पदस्थापित है। विभाग के आदेश दिनांक 4 को दिसंबर 2019 को ज्ञानचंद का पदस्थापन उप वन संरक्षक नागौर के पद पर हुआ व इसी क्रम में उन्होने दिनांक

- **उच्च न्यायालय की एकलपीठ के न्यायाधीश ने आदेश पारित किया**

9 दिसंबर 2019 को कार्यग्रहण कर लिया। इनके कार्यग्रहण के पश्चात् 20 जून 2023 के आदेश से उनके स्थान पर किसी अन्य भारतीय वन सेवा अधिकारी का स्थांनातरण कर दिया गया। मगर प्रार्थी को कहीं पर भी पदस्थापन नहीं किया गया। विभाग के इस कृत्य से व्यथित होकर प्रार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका प्रस्तुत की। प्रार्थी के अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा का न्यायालय के समक्ष यह तर्क था कि प्रथमतया प्रार्थी उप वन संरक्षक नागौर के पद पर वर्ष 2019 से निर्बाध रूप से कार्य कर रहा है। प्रार्थी का वर्तमान स्थान पर कार्यरत होने के बावजूद व प्रार्थी का कहीं भी स्थानांतरण नहीं करने के बावजूद अन्य का स्थानांतरण आदेश प्रार्थी के स्थान पर कर दिया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता का आगे यह तर्क था कि मार्च 2024 में प्रार्थी सेवानिवृत भी होने वाला है तथा उसका कही भी स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

प्रार्थी के अधिवक्ता के तर्क से सहमत होते हुए उच्च न्यायालय ने प्रार्थी की रिट याचिका को अंतरिम रूप से ग्राहय करते हुये मुख्य वन संरक्षक व सचिव, वन विभाग तथा सह सचिव कार्मिक विभाग को नोटिस जारी करते हुए विभाग के आदेश 20 जून 2023 के अनुसरण मे प्रार्थी को कार्यमुक्त नहीं करने का आदेश पारित किया।

शराब सहित एक पकड़ा

कोटपूतली, (निसं)। पनियाला थाना पुलिस ने हरियाणा निर्मित अवैध देशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। एसएचओ लक्ष्मीनारायण ने बताया कि पुलिस टीम ने कृष्ण कुमार को कंधे पर कट्टा रखकर पैदल आते देखा तो उसके पास कट्टे में नौ बोतल अवैध देशी शराब की पाई गई।

प्रेमी ही निकला प्रेमिका का हत्यारा, आरोपी प्रेमी गिरफ्तार

राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना समाप्त, शव परिजनों को किया सुपुर्द, पिता को भी हिरासत में लिया

हिण्डौन सिटी/करौली, (निसं)। गत तीन दिन पहले कुएं में पड़ी मिली युवती के शव के मामले का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया है। जिसमें प्रेमी ही अपनी प्रेमिका का हत्यारा निकला। पुलिस ने हत्यारे प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना को अंजाम देने में सहयोग करने का अंदेशा होने के चलते आरोपी के पिता को भी हिरासत में लिया है। पुलिस दोनों से कड़ी पूछताछ करने में जुटी है। जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तो शनिवार शाम को धरना समाप्त हो गया और तीन दिन से मोर्चरी में रखे हुए युवती के शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस की सुरक्षा में मृतक युवती का अंतिम संस्कार करवाया गया।

जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि मृतक युवती और आरोपी गोलू मीना एक दूसरे से प्रेम करते थे और दोनों में खूब बातचीत होती थी। 11 और 12 जुलाई की रात्रि करीब एक बजे गोलू मीणा युवती को उसके घर से भीलापाड़ा गांव में स्थित अपने पिता के एक मकान पर लेकर गया। जहां दोनों के बीच शादी को लेकर आपस में झगड़ा हुआ। बताया जाता है कि युवती की शादी परिजनों ने कहीं कर दी थी जिससे युवती खुश नहीं थी। वह गोलू से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन शायद गोलू ऐसा नहीं चाहता था। जिसके बाद आरोपी गोलू मीणा ने देसी कट्टे से गोली चलाकर युवती की हत्या कर दी और शव को गांव के ही एक कुएं में फेंक दिया। आरोप लग रहे हैं कि इस दौरान युवती के साथ दुष्कर्म भी किया गया तथा उसके चेहरे पर पहचान छिपाने के लिए तेजाब भी डाल दिया। हालांकि इन दोनों मामलों का खुलासा एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।

आरोप है कि जब परिवार जनों को सुबह युवती घर में नहीं मिली तो परिजन थाने पहुंचे लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। 12 जुलाई को ग्रामीणों ने को जब कुएं में शव पड़ा होने की जानकारी मिली तो इसकी सूचना नादौती थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने युवती के शव को बाहर निकलवा कर हिंडौन के जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। मामले की जानकारी जब राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लगी तो वह हिंडोन पहुंच गए तथा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। सांसद किरोड़ी मीणा ने आरोप लगाया कि दलित युवती को बदमाशों ने अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया तथा गोली मारकर हत्या करने के बाद उस पर एसिड फेंक दिया और शव को कुएं में डाल दिया। उन्होंने पुलिस पर पीड़ित परिवार की सुनवाई नहीं करने के भी आरोप लगाए। मामले

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पिता को हिरासत में लिया।

में तब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। जिससे नाराज होकर सांसद किरोड़ी मीणा ने कार्यकर्ताओं के साथ धरना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सरकार पर भी खूब आरोप लगाए। दूसरे दिन राजनीति और तेज हुई तथा राजसमंद सांसद दीया कुमारी भरतपुर सांसद रंजीता कोली एवं राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा हिंडौन पहुंची तथा धरने में शामिल हुई। भाजपा के धरने को देखकर बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद रामजी गौतम बसपा प्रदेश अध्यक्ष भी हिंडोन पहुंचे तथा कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल परिसर में अलग टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी के नेता भी अस्पताल परिसर में अलग टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए तथा भाजपा कांग्रेस को कोसने लगे। सभी की एक ही मांग थी कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो, पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी मिले तथा दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही हो। सहमति नहीं बनने के

- **भाजपा की ओर से पीड़िता के परिवार को 20 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा**
- **जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया**

कारण बसपा और आम आदमी पार्टी के धरने शुक्रवार शाम को खत्म हो गए लेकिन भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना लगातार जारी रहा। शनिवार को सुबह टोडाभीम से कांग्रेस विधायक पी आर मीणा व अन्य कांग्रेस नेता सांसद किरोड़ी मीणा के धरने में पहुंचे तथा धरना समाप्त करने का अनुरोध किया। लेकिन सांसद किरोड़ी नहीं माने और उन्हें वापस भेज दिया। इसके बाद शनिवार दोपहर बारह बजे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह भी हिंडौन पहुंचे तथा घटना की जानकारी लेकर सांसद किरोड़ी मीणा के धरने में शामिल हुए। उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर आरोप लगाए।

इसी दौरान खबर आई कि पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी गोलू मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में मुख्य आरोपी प्रभाकर चेन सिंह उर्फ गोलू मीना (20) और सहयोगी पिता अमर सिंह उर्फ नैहना मीना को गिरफ्तार किया है। एसपी ममता गुप्ता ने घटना का खुलासा किया तो मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ भी निकला। आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस प्रशासन ने सांसद किरोड़ी लाल मीणा व मृतका के परिजनों से बातचीत कर समझाइश की तब कुछ सहमति बनी। भाजपा की ओर से की जा रही पहली मांग आरोपी की गिरफ्तारी पूरी हो गई। पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से पांच लाख रुपए के मुआवजे की जिला कलेक्टर ने घोषणा कर दी तथा संविदा पर नौकरी वह अन्य मांग भी पूरी करने का आश्वासन दिया। भाजपा भी पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपये की सहायता देगी। उसके बाद परिजन शव लेने को और सांसद किरोड़ी मीणा धरना समाप्त करने के लिए तैयार हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच शव परिजनों को सुपुर्द कर गांव पहुंचाया गया। जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली।

राजस्थान सरकार वन विभाग

क्रमांक प.1 (46) वन/2023 जयपुर दिनांक

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर

विषय: Diversion of 0.1494 ha of forest land for permission for laying Underground OFC in ROW of existing road from Gudla to Karauli from Lat/ long point 26*33' 34.235" N 77*1' 25.772"E to 26*31' 29.409" N 77*1' 3.304" E, total length of 5.62 KM and total area 0.2531 ha (length and area in Forest is 03.32 KM & 0.1494 ha & Length & area in Non-Forest is 2.30 KM & 0.1037 ha) along PWD (Proposal No.: FP/RJ/OFC/44022/2020)

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (380/35) 2020/एफसीए/ प्रमुवस/3460 दिनांक 18.10.2022 ऑन लाईन प्रस्ताव सख्यां FP/RJ/OFC/44022/2020

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में जिला करौली Existing road from Gudla to Karauli हेतु भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने बाबत कुल 0.1494 है. वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1494 ha of forest land for permission for laying Underground OFC in ROW of existing road from Gudla to Karauli from Lat/ long point 26*33' 34.235" N 77*1' 25.772"E to 26*31' 29.409" N 77*1' 3.304" E, total length of 5.62 KM and total area 0.2531 ha (length and area in Forest is 03.32 KM & 0.1494 ha & Length & area in Non-Forest is 2.30 KM & 0.1037 ha) along PWD (Proposal No.: FP/RJ/OFC/44022/2020) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले को वृक्षों वनविभाग की बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदुरो/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैप नही लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदुरो/स्टाफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकट वर्ती वनो को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/ पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दि.24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दि.7.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण मे जारी स्वीकृति को यूबर एजेंसी हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरश: प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगर पालिका के राजकीय अधिकारीयो को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
12. भारत सरकार के आदेश कमांक एफसी-11/165/2019-एफसी दिनांक 27.07.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों की अनुपालना करें।

भवदीया, (मोनाली सेन) विशेषाधिकारी, वन